न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ

पीठासीन अधिकारीः– सीता शर्मा, आर.ए.एस

वाद संख्या :– 75/2019 दायरा दिनांक :– 24.06.2019

GCMS No. :- 2019/00101

गुड्डी देवी पत्नी श्री लिछमणराम जाति जाट साकिन सिंगरासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राज0

– वादीया –

बनाम

1. विद्या कंवर पत्नी श्री जीराज सिंह जाति राजपूत साकिन लधेर (फौत)
   1/1 बख्तावरसिंह
   1/2 रतनसिंह
   1/3 मोहनसिंह
   1/4 चुन्नीसिह
   } पिसरान श्री जीराज सिंह जाति राजपूत साकिन लधेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0
2. हनुमान पुत्र श्री लाधूराम जाति जाट साकिन साबनिया तहसील लुनकरणसर जिला बीकानेर राज0
3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण –

वाद अर्न्तगत धारा 53,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थितः–

1. श्री केलाश पारिक अभिभाषक, वादी
2. श्री सजीव कालिया अभिभाषक, प्रतिवादी सं0 2
3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़, प्रतिनिधी राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय दिनांक :–30.05.2024

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई पक्षकारान वादी एंव प्रतिवादी सं0 2 के अभिभाषक उपस्थित प्रतिवादी सं0 1/1 से 1/4 तक के खिलाफ एकतरफा सुनवाई के आदेश हुए है व राज पेरोकार उपस्थित है पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में पत्रावली के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद अर्न्तगत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निवेदन किया कि ग्राम लधेर तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 की खाता सं0 30/1764 मं ख0नं0 166 की 3.161 है0 व ख0नं0 393 की 7.208 है0 कुल 10.369 है0, बारानी दोयम खातेदारी कृषि भूमि में मुझ वादीया के नाम से 3.161 है0, प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 5.184 है0 व प्रतिवादी सं0 2 के नाम से 2.024 है0 खातेदारी कृषि भूमि अंकित है वादीया का कब्जा काश्त ख0 नं0 166 की 3.161 है0 ... पर कब्जा काश्त है। घरू बंटवारा कर काश्त कर रहीं है मुताबिक ... भूमि का बंटवारा करने की प्रार्थना की गई वाद प्राप्त होने पर दर्ज ... प्रतिवादीगण को तलब किया गया उनके अभिभाषक उपस्थित आए। प्रतिवादी सं0 1 कि तरफ से जवाब पेश किया गया एंव प्रतिवादी नं0 1 के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए व वादी अपने अंकित हिस्सा से अधिक काबिज होने पर अधिक कब्जे से बेदखल करने का जवाब दिया। प्रतिवादी सं0 1 ने अभिभाषक की मारफत जवाब पेश किया बाद जवाब प्रतिवादी सं0 1 की मृतयु हो गई उनके वारीसान को पक्षकार बनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.06 10:49:37 IST
Reason: SelfAttested

– लगातार 2 पर –

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

परन्तु वह उपस्थित नहीं आए इस लिए उनके विरूद्ध एकतरफा सुनवाई के आदेश किए गए प्रतिवादी सं0 2 द्वारा वाद पत्र स्वीकार कर निर्णय करने की प्रार्थना की गई। राज्य पक्ष की और से कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ। बाद आने जवाब तनकीयात कायम की गई जो निम्न प्रकार से कायम हुई :–

1 :– आया की जैरवाद रकबा वादीया के नाम से रोही लधेर के खाता सं0 30/1764 में 3.166 है0 खातेदारी भूमि अंकित है? – वादीया –

2 :– आया की जैरवाद रकबे में से घरू बंटवारा मुताबिक रोही लधेर के खसरा सं0 166 में 3.166 है0 बारानी दोयम भूमि काबिज काश्त है इसी अनुसार खाता विभाजन कराने के पात्र है? – वादीया –

3 :– आया जैरवाद रकबे मे विधी अनुसार बंटवारा नहीं हुआ मौका पर आपसी समझदारी से काश्त की जा रही है व मौका मुताबित कब्जा काश्त अंकित हिस्सा अनुसार विभाजन के अधिकारी है? – प्रतिवादी –

बाद कायम तनकियात साक्ष्य लिये गये वादिया गुड्डी ने स्वंय अपने ब्यान शपथ पत्र पर अंकित करवाये व शपथ पत्र पर अंकित किया कि सयुक्त खाता सं0 30/1764 की 10.369 है0 भूमि मे से 166 कि 3.161 है0 खातेदारी भूमि पर वादीया का शांतिपूर्ण कब्जा है जो कि घरू बंटवारे से वादीया को दी गई है। वादीया ने कब्जा अनुसार खाता विभाजन कर वादीया को ख0नं0 166 में अंकित 3.161 है0 बारानी भूमि का खाता वादीया के नाम बाद खाता विभाजन अंकित करने कि प्रार्थना की। प्रतिवादी नं0 1/1 से 1/4 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश हुए है और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ उनके साक्ष्य बन्द कर तर्क सुने गये। योग्य अभिभाषक वादिया द्वारा तर्क दिया गया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 रोही लधेर तहसील सूरतगढ़ के खाता सं0 30/1764 मे खसरा नं0 166 में 3.1610 है0 एंव खसरा नं0 393 में 7.2030 है0 कुल 10.369 है0 भूमि में वादीया के नाम 3.161 है0 दर्ज कागजात है वादीया खसरा सं0 166 कि 3.161 है0 भूमि पर घरू बंटवारे से कब्जा काश्त में है कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन कर खसरा सं0 166 के 3.1610 है0 का खाता उसके नाम से अलग दर्ज किया जावें। प्रतिवादी नं0 1/1 से 1/4 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश हुए है उनके पूर्वज विद्या कवंर द्वारा जवाब दावा में विधी अनुरूप बाद जांच खाता विभाजन कि प्रार्थना कि गई थी। प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु होने पर वारिसान के खिलाफ एकरफा कार्यवाही के आदेश हुए है प्रतिवादी सं0 2 द्वारा वादीया के वाद का समर्थन किया गया बाद सुनवाई तर्क पक्षकारान पुर्ण पत्रावली का तर्को के परिपक्ष पठन व मनन् किया गया तनकी वाद विवेचन निम्न प्रकार से है :–

तनकी 1 :– आया की जैरवाद रकबा वादीया के नाम से रोही लधेर के खाता सं0 30/1764 में 3.166 है0 खातेदारी भूमि अंकित है?

इस तनकी का [illegible] द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिए नकल जमाबन्दी सम्वज 2[illegible] ता [illegible] दस्तावेजी रिकार्ड प्रस्तुत किया है जिसमें रोही लधेर तहसील सूरतगढ़ के खाता सं0 30/1764 में वादीया के नाम 3.166 है0 बारानी दोयम भूमि खातेदारी [illegible] कागजात राज है इस तथ्य पर प्रतिवादीगण का विरोध नहीं है दस्तावेजी सा[illegible] को शपथ पत्र से वादीया ने सिद्ध किया है कि वह रोही लधेर तहसील सूरतगढ़ में जमाबन्दी अनुसार खसरा नं0 166 व 393 में अंकित 10.369 है0 भूमि में 3.161 है0 भूमि के खातेदार कृषक है तनकी नं0 1 बहक वादीया निर्णय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.06 10:49:37 IST
Reason: SelfAttested

– लगातार 3 पर –

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी 2 :– आया की जैरवाद रकबे में से घरू बंटवारा मुताबिक रोही लधेर के खसरा सं0 166 में 3.166 है0 बारानी दोयम भूमि काबिज काश्त है इसी अनुसार खाता विभाजन कराने के पात्र है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी द्वारा शपथ पत्र के तहत अतिरिक्त कोई साक्ष्य पेश नहीं किया इस अवस्था में कोई विधीपूर्वक बंटवारा हुआ सिद्ध नहीं होता। प्रतिवादी नं0 2 अपने जवाब दावा में भी यही कथन किया है तनकी नं0 2 संदेह से परे सिद्ध नही होती इसलिए वादीया के विरूद्ध निर्णय किया जाता है।

तनकी 3 :– आया जैरवाद रकबे मे विधी अनुसार बंटवारा नहीं हुआ मौका पर आपसी समझदारी से काश्त की जा रही है व मौका मुताबित कब्जा काश्त अंकित हिस्सा अनुसार विभाजन के अधिकारी है?

इस तनकी का सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी ने इसे किसी साक्ष्य द्वारा पुष्ट नहीं किया इसलिए विरूद्ध प्रतिवादी निर्णय किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी नं0 1 बहक वादीया सिद्ध होने से व तनकी नं0 2 वादीया के विरूद्ध सिद्ध होने से वाद वादीया आशिंक रूप से स्वीकार किया जाकर रोही लधेर के जमाबन्दी संम्वत 2068 ता 71 खाता सं0 30/1764 में अंकित 166 कि 3.161 है0 खसरा नं0 393 कि 7.208 है0 कुल 10.369 है0 में विभाजन के नियमानुसार वादीया का 3.161 है0 भूमि का खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है विभाजन के नियमानुसार व पक्षकार के कब्जे को ध्यान में रखते हुए उक्त खाता विभाजन कर वादीया का 3.161 है0 का खाता अलग कायम करने हेतू विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतू तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिये जाते है इसी अनुसार तहसीलदार को पत्र लिख जावें पत्रावली इसी प्रकार से निर्णय का प्राथमिक डिक्री जारी की जावें व पत्रावली इसी प्रकार निर्णय सुमार की जाकर दाखिल दफतर हो विभाजन प्रस्ताव आने पर पक्षकारान अन्तिम डिक्री हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विभाजन प्रस्ताव कि अनुपालना में अन्तिम आदेश से डिक्री जारी करवाने को स्वतन्त्र है।

आदेश आज दिनांक 30.05.2024 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.06 10:49:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

(आदेश 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

<u>डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई</u>

अज अदालत– सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास– सीता शर्मा आर.ए.एस

अनवान:–

गुड्डी देवी पत्नी श्री लिछमणराम जाति जाट साकिन सिंगरासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राज0

– वादीया –

बनाम

1. विद्या कंवर पत्नी श्री जीराज सिंह जाति राजपूत साकिन लधेर (फौत)

1/1 बख्तावरसिंह
1/2 रतनसिंह
1/3 मोहनसिंह
1/4 चुन्नीसिह

} पिसरान श्री जीराज सिंह जाति राजपूत साकिन लधेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

2. हनुमान पुत्र श्री लाधूराम जाति जाट साकिन साबनिया तहसील लुनकरणसर जिला बीकानेर राज0
3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण –

<u>वाद अर्न्तगत धारा 53,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।</u>

उपस्थित:–

1. श्री केलाश पारिक अभिभाषक, वादी
2. श्री सजीव कालिया अभिभाषक, प्रतिवादी सं0 2
3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़, प्रतिनिधी राजस्थान सरकार

वाद अर्न्तगत धारा 53, 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत होने पर यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी एंव प्रतिवादी पेश होने पर वाद वादीया आंशिक रूप से स्वीकार कर हुक्म दिया जाता है कि रोही लधेर तहसील सूरतगढ़ जमाबन्दी संम्वत 2068 ता 71 खाता सं0 30/1764 में अंकित भूमि खसरा सं0 166 में 3.161 है0, खसरा सं0 393 में 7.208 है0 कुल 10.369 है0 बारानी दोयम के खाता विभाजन कि स्वीकृती दी जाकर वादीया के 3.161 है0 भूमि का खाता अलग करने हेतू तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन के नियमानुसार व कब्जा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सूरतगढ़ से मंगवाने हेतू पत्र जारी करने की स्वीकृती दी जाती है। तहसीलदार सूरतगढ़ को अलग से पत्र लिखा जावें। खर्चा [illegible]।

मबलिग.......[illegible].......खर्चा इस मुकदमें में मय नोज ....x.......[illegible].......x.......आज की तारीख से सूद बशहर ....x.......[illegible] तारीख वसुलया वो तक की अदा करें।

[illegible] दिनांक 30.05.2024 को जारी की बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के [illegible] गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.06 10:49:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़